

प्रारूप—15
(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

क्षतिपूर्ति पत्र

सेवामें,
डाकपाल

महोदय,

1. प्रशासन के पत्रों अथवा मृतक (अंशदाता का नाम) की संपदा का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा संपदा शुल्क नियंत्रक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि संपदा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है अथवा कर दिया जाएगा अथवा कोई राशि देय नहीं है, को प्रस्तुत किए बगैर के नाम में आपके (लेखा कार्यालय का नाम) के पास (योजना का नाम) में खाता सं में जमा रु की राशि मुझे/हमें (विधिक उत्तराधिकारी(यों) के नाम) अदा करने अथवा अदा करने के लिए सहमत होने के प्रतिफल में,
2. मैं/हम तथा हम (प्रतिभू) सभी दावों, मांग, कार्यवाहियों, हानि, नुकसान, प्रभारों तथा खर्चों जो हुए हों अथवा यथा उपर्युक्त मुझे/हमें भुगतान करने अथवा भुगतान करने के लिए सहमत होने के कारण अथवा परिणामस्वरूप आपके द्वारा किए जाने, के एवज में स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों की तरफ से संयुक्त रूप से और पृथक—पृथक आपको तथा आपके उत्तराधिकारियों, और समनुदेशितियों को क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं ।
3. जिसकी गवाही के लिए अभिसाक्षियों की उपस्थिति में मैंने/हमने वर्ष के दिन इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं।

मृतक के उपर उल्लिखित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया ।

उपर उल्लिखित प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर कर सुपुर्द किया गया

1.....
2.....

अभिसाक्षियों के हस्ताक्षर, नाम व पते :

1.....
2.....

सत्यापित

नोटरी पब्लिक